

14/2/23

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उमयपक्ष उप०। मूल
अपील का निर्णय ही चुका है। पार्थना-पत्र स्थगन
में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
अतः पार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैल शमाह होकर बाद आवश्यक
कार्यवाही दायित्व दफ़तर ही।

बलिन कुमार
जिला कलक्टर
जिला न्यायालय
मुंबई